भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2981
18 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: उर्वरक एवं बीज विक्रेताओं के लिए प्रशिक्षण
2981. श्री चन्द्र प्रकाश जोशी:
क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) उर्वरक एवं बीज विक्रेताओं के प्रशिक्षण के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;
(ख) क्या उर्वरक एवं बीज विक्रेताओं के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का कोई प्रावधान है;
(ग) क्या सरकार द्वारा उर्वरक एवं बीज विक्रेताओं के प्रशिक्षण एवं शिक्षा के लिए कोई कार्यक्रम चलाया जा रहा है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) एवं (ख) : सरकार उर्वरक एवं बीज विक्रेताओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए योजनाएं कार्यान्वित कर रही है।

उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के अनुसार उर्वरक डीलरों/विक्रेताओं के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता का प्रावधान है जो इस प्रकार है:

i. खुदरा डीलरशिप के लिए किसी भी आवेदक को तब तक कोई प्राधिकरण पत्र नहीं दिया जाएगा, जब तक कि आवेदक के पास किसी राज्य कृषि विश्वविद्यालय या कृषि विज्ञान केंद्र या राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (मैनेज) या राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर) या भारतीय उर्वरक संघ या किसी अन्य अनुमोदित सरकारी संस्थान से पंद्रह दिनों का सर्टिफिकेट कोर्स न हो।
ii. बशर्ते कि किसी व्यक्ति के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि या रसायन विज्ञान में स्नातक की डिग्री या कृषि विज्ञान में डिप्लोमा या राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित उर्वरक या कृषि इनपुट पर विषय सहित समकक्ष पाठ्यक्रम हो, तो उसे अलग से सर्टिफिकेट कोर्स करने की आवश्यकता नहीं होगी।
iii. बशर्ते यह कि किसी डीलर जिसे उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) चतुर्थ संशोधन आदेश, 2018 के लागू होने से पूर्व प्राधिकार पत्र प्रदान किया गया है, को अपने प्राधिकार पत्र के नवीकरण के समय अर्हता रखने की आवश्यकता नहीं होगी।

बीज विक्रेताओं के प्रशिक्षण के लिए कोई अलग मानदंड नहीं है और बीज विक्रेताओं के लिए कोई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं है।

(ग) एवं (घ): सरकार इनपुट डीलरों के लिए कृषि विस्तार सेवाओं में डिप्लोमा (डीएईएसआई) कार्यक्रम लागू कर रही है जिसके लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं उत्तीर्ण प्रमाण पत्र और इनपुट डीलर व्यवसाय चलाना है। इनपुट डीलरों के लिए कृषि विस्तार

सेवाओं में डिप्लोमा (डीएईएसआई) उर्वरक और बीज विक्रेताओं सहित कृषि-इनपुट डीलरों के लिए एक वर्ष (48 सप्ताह में फैला हुआ; प्रति सप्ताह 1 दिन) का डिप्लोमा कार्यक्रम है। राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (मैनेज) राज्य कृषि प्रबंधन और विस्तार प्रशिक्षण संस्थानों (एसएएमईटीआई), कृषि विज्ञान केंद्रों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से सभी राज्यों में डीएईएसआई कार्यक्रम को लागू कर रहा है।

प्रत्येक वर्ष चयनित राज्य/जिले में केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रशिक्षण संस्थान/क्षेत्रीय उर्वरक नियंत्रण प्रयोगशालाओं द्वारा उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण पर एक दिवसीय डीलर प्रशिक्षण कार्यक्रम (डीटीपी) चलाया जा रहा है।

****